श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.2015 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) के कार्यपालक अभियंताओं की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

1. जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यपालक अभियंताओं की मासिक समीक्षा बैठक में सीतामढ़ी, बांका, भागलपुर, जमुई एवं समस्तीपुर जिला के कार्यपालक अभियंता अनुपस्थित थे। श्री सपन कुमार (विशेष कार्य पदाधिकारी) इन जिलों के कार्यपालक अभियंताओं को स्पष्टीकरण जारी करें कि ये किस कारण से बैठक में अनुपस्थित रहे हैं।

2. अरवल, मधुबनी, सहरसा, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में "जिला संचालन समिति" की बैठक नहीं हो पायी है। संचालन समिति की बैठक आयोजित कराने के लिए संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार हैं। इस संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने हेतु संचिका मुख्य सचिव के समक्ष उपस्थापन हेतु शीघ्र उपस्थापित की जाय।

3. जिन जिलों में संचालन समिति की बैठक नहीं हो पायी है, उन जिलों में 30 नवंबर 2015 तक अनिवार्य रूप से संचालन समिति की बैठक कर ली जाय। यदि 30 नवंबर तक संचालन समिति की बैठक आयोजित नहीं होती है तो संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यपालक अभियंता इसके लिए असमन्वय हेतु जिम्मेदार होंगे एवं उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करके, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

4. निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की आवंटित राशि की जिन जिलों में कोषागार से निकासी नहीं हुई है, उन जिलों के कार्यपालक अभियंता, जिला पदाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करेंगे और राशि की निकासी सुनिश्चित कराएंगे ताकि सरकारी राशि का ससमय उपयोग सुनिश्चित हो सके।

5. पिछले तीन वर्षों में डूडा–1 एवं डूडा–2, पटना में जो योजनाएं मंजूर हुई हैं, उन योजनाओं की योजनावार समीक्षा, श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी अपने स्तर पर बैठक आयोजित करके करेंगे एवं फलाफल से अवगत करायेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवंटित राशि एवं पूर्व की उपलब्ध राशि को शामिल करके, जितनी राशि इस वित्तीय वर्ष में होगी, उसका व्यय हर हालत में 31 मार्च 2016 तक कर लेना है। इसके लिए सभी कार्यपालक अभियंता, पर्याप्त संख्या में योजनाएं स्वीकृत कराकर, टेण्डरिंग की प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2015 तक पूर्ण कर लें।

7. इस क्रम में यह ध्यान रखा जाय कि पूर्व के वर्षों की जो योजनाएं अपूर्ण हैं, उनका विशेष अनुश्रवण करके, शीघ्र पूर्ण कराया जाय। किसी भी हालत में ऐसी कोई योजना अपूर्ण नहीं रहनी चाहिए, जो वित्तीय वर्ष 2013–14 या उसके पूर्व ली गयी थी। वर्ष 2013–14 तक ली गयी सभी योजनाएं 31 दिसम्बर तक भौतिक रूप से पूर्ण होकर अभिलेख बंद हो जानी चाहिए। यह कार्यपालक अभियंता (DUDA) की निजी जिम्मेदारी होगी।

8. वर्ष 2014–15 के अंतर्गत ली गयी सभी योजनाएं हर हालत में 31 मार्च 2016 तक पूर्ण होकर अभिलेख बंद हो जानी चाहिए। मात्र 2015–16 में ली गयी योजनाएं ही अगले वित्तीय वर्ष में अपूर्ण योजनाओं के रूप में रहना चाहिए। **इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी हो पाएगी, जब कार्यपालक अभियंता, संवेदकों एवं अधीनस्थ कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से मासिक तौर पर कार्यों की समीक्षा करेंगे और उसका अभिलेख रखेंगे।**

9. योजनाओं के कार्यान्वयन में जो भी व्यवधान आ रही है, उसे दूर कराने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराएं ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो सके।

10. योजनाओं की प्रगति के संबंध में जिलों को भेजे जाने वाले मासिक समीक्षा टिप्पणी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। अगस्त माह की मासिक समीक्षा टिप्पणी 25 सितम्बर तक जारी की जाय। भविष्य में हर माह की मासिक समीक्षा टिप्पणी 15 से 25 तारीख तक जारी अनिवार्य रूप से जारी कर दी जाय। श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

11. मासिक समीक्षा टिप्पणी के संबंध में जिलों से प्राप्त होने वाले ATR को भी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय। तीन महीने के बाद जिलों के प्रभारी मंत्रियों एवं माननीय विधायकों को इसकी जानकारी लिखित रूप से दे दी जाय ताकि वे इससे अवगत हो सकें। श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

12. विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध रहे, इस हेतु एक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कराया जाय। यह कार्य सितम्बर माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय। यह श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी की निजी जिम्मेदारी है।

13. अगली बार से आयोजित होने वाली जिला शहरी विकास अभिकरणों के कार्यपालक अभियंताओं की मासिक समीक्षा बैठक में यह व्यवस्था की जाय कि बैठक के समय पूर्वा० 11:00 बजे से अप० 01:00 बजे तक विडियो कॉफ्रेंस पर जिले के डूडा के प्रभारी पदाधिकारी भी उपस्थित रहें। इस हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाय। मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे।

14. नगर परिषद/नगर पंचायत स्तर पर निविदा में आरक्षण के प्रावधान का संकल्प पथ निर्माण विभाग के स्तर से जारी हो गया है, लेकिन उस संकल्प में डूडा के स्तर पर आरक्षण का प्रावधान छूट गया है। यह प्रावधान डूडा के स्तर पर भी लागू होगा और इसकी रोस्टर पंजी डूडा के स्तर पर ही संधारित होगी।

इस संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता संचिका शीघ्र उपस्थापित करेंगे।

15. मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा AMRUT, SBM एवं Housing for All का Model Estimate बनाकर, डूडा के कार्यपालक अभियंताओं को तत्काल भेजा जाय।

16. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरणों की समय–समय पर State Quality Monitors से जाँच कराने की व्यवस्था की गयी है। जाँच के क्रम में State Quality Monitors पाँच दिनों तक क्षेत्र में रहकर, जिला

शहरी विकास अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की गुणवत्ता जाँच एवं स्थल जाँच करेंगे। सभी जिला शहरी विकास अभिकरणों के कार्यपालक अभियंता जाँच के क्रम में State Quality Monitors को आवश्यक सहयोग देना सुनिश्चित करेंगे।

17. अगली मासिक समीक्षा बैठक में Housing for All के EWS Housing एवं in situ slum development घटकों में कार्यपालक अभियंताओं द्वारा क्या Pro Active प्रयास किया गया है, उसकी समीक्षा की जाएगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15.9.15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4804 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 16/9/15

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15.9.15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4804 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 16/9/15

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/मुख्य अभियंता/श्री विजय रंजन, उप सचिव/श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक/श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/श्री सपन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.9.15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4804 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 16/9/15

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.9.15
प्रधान सचिव